भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1727

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों का प्रतिशत

1727. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए राज्यवार प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों का कुल प्रतिशत कितना है जो जीरो बैलेंस खाते हैं;

(ख) पीएमजेडीवाई खातों में 10 रुपए से कम राशि जमा होने वाले खातों की हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) पूरे देश में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों की हिस्सेदारी कितनी है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमजेडीवाई खातों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जमा की गई औसत राशि कितनी है और इसी अवधि के दौरान वर्षवार राष्ट्रीय औसत क्या है; और

(ङ) क्या योजना की प्रभावकारिता का आकलन करते समय लेन-देन की आवृत्ति और वित्तीय उत्पादों के साथ जुड़ाव जैसे मानदंडों पर विचार किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): दिनांक 19.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में पीएमजेडीवाई खातों में से 8% खातों में शेषराशि शून्य है। दिनांक 19.02.2025 की स्थिति के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के ऐसे खातों का राज्यवार प्रतिशत निम्नानुसार है:-

राज्य (एनईआर)	शून्य शेष राशि वाले खातों का प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	8%
असम	14%
मणिपुर	12%
मेघालय	5%
मिजोरम	15%
नागालैंड	5%
त्रिपुरा	12%
सिक्किम	12%

स्रोत: बैंक

(ख) और (ग): पीएमजेडीवाई खाते, जिनमें 10 रुपये से कम जमा हैं, के हिस्से से संबंधित आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, देश में निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों का प्रतिशत और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों का प्रतिशत क्रमशः 21.29% और 19.46% है।

(घ): पीएमजेडीवाई खातों में जमा की गई औसत राशि के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पीएमजेडीवाई खातों में संचयी औसत शेष राशि के आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं।

(ङ): वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में पीएमजेडीवाई की प्रभावशीलता को विभिन्न मापदंडों पर मापा जाता है जैसे:

i) खातों का खुलना – 26.02.2025 तक पूरे देश में 54.97 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं।

ii) सक्रिय खातों का प्रतिशत – 26.02.2025 तक, 78.71% खाते सक्रिय हैं।

iii) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन - इच्छुक और पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में अंशदान करने का विकल्प दिया जाता है। दिनांक 19.02.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल पीएमजेडीवाई खाताधारकों में से 6.91 करोड़ और 16.81 करोड़ खाताधारकों ने क्रमशः पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में भी नामांकन कराया है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पीएमजेडीवाई खाते सहित सीधे उनके बैंक खातों में दिया जा रहा है।

*****

दिनांक 10.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1727 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध						
प्रधानमंत्री जन धन खाते में संचयी औसत शेष राशि						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**दिनांक 19.02.2025 की स्थिति के अनुसार**	**मार्च 2024**	**मार्च 2023**	**मार्च 2022**	**मार्च 2021**	**मार्च 2020**
अरुणाचल प्रदेश	5,069	5,789	5,622	5,168	5,033	3,770
असम	2,634	2,697	2,727	2,334	2,371	2,378
मणिपुर	2,438	2,549	2,515	2,095	2,038	2,211
मेघालय	5,327	6,032	5,974	5,558	5,813	3,736
मिजोरम	4,468	4,572	4,568	4,622	4,307	3,633
नागालैंड	3,027	3,392	3,133	2,669	2,757	2,259
त्रिपुरा	5,611	4,965	4,901	4,891	6,022	7,609
सिक्किम	5,368	5,751	5,468	5,313	5,241	4,151
देश	**4,542**	**4,476**	**4,087**	**3,694**	**3,449**	**3,090**

स्रोत: बैंक